

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)  
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राजेंद्र कुमार बनाम अमीलाल आरि 2

दावा बाबत :- 88 RTA-4

मुकदमा नम्बर :- 110/2021

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से वकील सुदेश बनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3, 4 की ओर से वकील विनोद कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राहीमोजा फाउण्डेशन के खाला सं० 1/17 के खसरा सं० 7.530 की 7.537 है, खसरा सं० 531 की 8.220 है कुल 15.757 है बापूजी खालेदारी प्रतिवादी सं० 1 अमीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से एक से प्रतिवादी सं० अमीलाल के वाजिए वादी राजेंद्र कुमार व प्रतिवादी सं० 1 अमीलाल, प्रतिवादी सं० 2 सुदेश प्रतिवादी सं० 3 देवीलाल को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं० लुछमा पत्नी स्व० हरिसिंह प्रतिवादी सं० 6 विनोद कुमार, प्रतिवादी सं० 7 रमेश कुमार को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खालेदार का इलाका घोषित किया जायेगा प्रतिवादी सं० 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 व 5 ता 7 के पक्ष में व प्रतिवादी सं० 8 ता 11 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा 5 ता 7 के पक्ष में त्मांठा कर मुन्ध कर लिया है इसलिए त्मांठा किया गया हिस्से पर पंजीपन किया जायेगा देय पंजीपन मुन्ध एवं सत्यापन उभय करवा करेगे व यदि क्विथि मुन्ध के रखे व तो रखे मुन्ध होने के अभाव ही राजस्व रिकार्ड में सम्मिल करवा किया जायेगा राजागामा का डिक्री का न्याय पक्षी पाये खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
02/11/21